

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान -304 501

क्रमांक: 6(105)एसपी/एएमसी/2005/

दिनांक 21.7.2016

मै0 _____

विषय : संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/सेक्टरों में स्थापित तुलन मशीनों के वार्षिक रख-रखाव हेतु कोटेशन।

महोदय,

सक्षम अधिकारी महोदय की ओर से वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/सेक्टरों में स्थापित तुलन मशीनों के वार्षिक रख-रखाव हेतु आपकी फर्म से न्यूनतमदर पर कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.सं.	विभाग/अनुभाग का नाम	तुलन मशीन का प्रकार (साधारण/इलेक्ट्रीकल)	मॉडल नं.	मशीन संख्या	क्षमता
1	टी.एम.टी.सी. विभाग	1.एवरी प्लेटफॉर्म बैलेंस (साधारण) 2.एवरी बेंच डाईल स्केल (साधारण)	3901-AAG 1103-CLS	C-646055 C-717810	300 किग्रा. 20 किग्रा.
2	पशु शरीरक्रिया एवं जीव रसायन विभाग	1.एवरी मशीन (साधारण) (सेक्टर-9) 2.एवरी मशीन (साधारण) 3.एवरी मशीन (साधारण) (सेक्टर-9) 4.इलेक्ट्रीकल मशीन (विजेन स्केल)	3205-CLE 3303-CLS 3303-CLS -	C-806214 C-847681 C-717843 -	100 किग्रा. 50 किग्रा. 20 किग्रा. 100 किग्रा.
3	पशु अनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग	1.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-12) 2.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-12) 3.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-13) 4.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-13) 5.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-15) 6.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-18) 7.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (सेक्टर-18) 8.एवरी डायल बैलेंस (साधारण) (शियरिंगसेड) 9.एवरी प्लेटफार्म बैलेंस(साधारण)("उपरोक्त") 10.इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (सेक्टर-12)(विजेन स्केल) 11. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (सेक्टर-12) " 12. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (सेक्टर-13) " 13. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (सेक्टर-15) " 14. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (सेक्टर-18) " 15. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (बकरी सेक्टर) " 16. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (बकरी सेक्टर) "	3303-CLS 3303-CLS 3303-CLS 3205-COE 3303-CLS 3303-CLS 3303-CLS 3303-CLS 3205-ABA - - - - - -	C-7311084 C-7210915 C-717816 C-738196 C-7310997 C-7310867 C-7210910 C-797500 C-655946 - - - - - -	20 किग्रा. 100 किग्रा. 20 किग्रा. 100 किग्रा. 50 किग्रा. 20 किग्रा. 100 किग्रा. 10 किग्रा. 500 किग्रा. 100 किग्रा. 60 किग्रा. 100 किग्रा. 100 किग्रा. 100 किग्रा. 50 किग्रा. 100 किग्रा.
4	मांस विज्ञान एवं पेल्ट तकनीकी अनुभाग	1. साधारण (सेक्टर) 2. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल) 3. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल) 4. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल) 5. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल)	1103-CCC -	C-75346 MSPT/90A MSPT/90B MSPT/90C MSPT/98	50 किग्रा. 30 किग्रा. 30 किग्रा. 10 किग्रा. 220 किग्रा.
5	सम्पदा अनुभाग	1.साधारण रेल्वे यार्ड टाईप बैलेंस	3218-ABA	-	500 किग्रा.
6	पशु पोषण विभाग	1.एवरी बैलेंस (साधारण) 2. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल)	3901-AAG	C-646054	300 किग्रा. 500 किग्रा.
7	फार्म अनुभाग	1.एवरी प्लेटफार्म बैलेंस साधारण	3901-AAG	C-845274	300 किग्रा.
8	खरगोश ईकाई	1.इलेक्ट्रीकल बैलेंस (विजेन स्केल) 2.इलेक्ट्रीकल बैलेंस (विजेन स्केल)	- -	T-1627 T-1656	10 किग्रा. 10 किग्रा.

नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं-

- कोटेशन में दर्शायी गई दर सभी करों एवं खर्चों सहित एफ.ओ.आर., अविकानगर होनी चाहिए तथा सामान पर दी जाने वाली छूट/डिस्काउण्ट का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- प्रस्ताव फर्म की निश्चित दरों के आधार पर ही स्वीकार किया जावेगा।
- प्रस्ताव में केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा आवंटित टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन नं. एवं उक्त कार्य से सम्बन्धित सामान पर लगने वाले बिक्रिकर एवं अन्य कर जो भी लागू हो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। संस्थान द्वारा किसी प्रकार का 'सी' व 'डी' फार्म जारी नहीं किया जावेगा।

4. संस्थान द्वारा एक्साईज ड्यूटी का भूगतान नहीं किया जाता है। फर्म की प्रार्थना पर एक्साईज ड्यूटी छूट का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा सकता है।
5. कोटेशनदाता को राजस्थान सरकार का उक्त कार्य वास्ते वैध लाईसेन्स अथवा इस कार्य के लिये उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
6. अनुबंध की अवधि में अनुबंधकर्ता को संस्थान में उपलब्ध तुलन मशीनों की स्टेपिंग भी करवानी होगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। उक्त प्रयोजनार्थ इसकी दर अलग से अथवा वार्षिक दर में सम्मिलित कर सकते हैं।
7. कोटेशन में दर्शाई गई दरों की वैधता कोटेशन खोलने की तिथि से 120 दिवस होनी चाहिए।
8. कोटेशन के साथ 1000.00 (एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.एस.डब्ल्यू.आर.आई. अविकानगर के नाम से एस.बी.बी.जे. मालपुरा की शाखा में देय हो संलग्न होना चाहिए।
9. कोटेशन में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिये, यदि कटिंग/ओवरकटिंग होती है तो उसे संबंधित द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। असत्यापित संशोधित/ओवरराईटिंग अंक/राशि को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 16-08-2016 है इसके उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
11. कोटेशन बन्ध लिफाफे में होना चाहिये तथा कोटेशन का नाम, फा.क्र.6(105)SP/AMC/05/ एवं अन्तिम तिथि 16-08-2016 अंकित होना चाहिये।
12. मरम्मत का कार्य शीघ्रातिशीघ्र बिना विलम्ब या शिकायत की सूचना पर पूरा करना होगा। कार्य समय पर पूर्ण करने पर नियमानुसार **Liquidated Damage Clause** लागू होगा।
13. फर्म को पार्ट्स की दरों की सूची कोटेशन के साथ लगानी होगी। साथ ही प्रस्ताव में सामान की निर्माता कम्पनी का नाम एवं उनके ट्रेडमार्क व ब्राण्ड का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये व कोटेशन के साथ तकनीकी विवरण/ओपरेशन मेनुअल इत्यादि की पुस्तिका (Leaflets) संलग्न होनी चाहिये ताकि प्रस्ताव पर विचार करने में सहायक हो सके।
14. सफल कोटेशनदाता को कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जमानत राशि इस संस्थान को जमा कराने के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। साथ ही आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
15. सक्षम अधिकारी महोदय के पास आपूर्ति आदेश जारी करते समय बेलेंसों की संख्या घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।
16. भुगतान का बिल 3 प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने के उपरान्त उचित समयावधि 30 दिवस के भीतर-2 किया जावेगा। साथ ही भारत सरकार /राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार आयकर /सेवाकर की कटौती की जावेगी।
17. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
18. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
19. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
20. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in और www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(आर.पी. वर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं संस्थान वेब साईट एवं सी.पी.पी. पोर्टल पर प्रसारण हेतु।
2. प्रभारी, भण्डार अनुभाग।

उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई तुलन मशीनों का हम निम्न सारणी में दर्शायी गई दर पर संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/सेक्टरों में स्थापित तुलन मशीनों के वार्षिक रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य करने हेतु सहमत है तथा कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें (क्रम संख्या 1 से 19 तक) हमें स्वीकार है।

क्र. सं.	कार्य विवरण	संख्या	दर वार्षिक सभी करों एवं खर्चों सहित
1.	एवरी प्लेटफार्म बैलेंस साधारण	18	
2.	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस (विजेन स्केल)	15	

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.